

Date: 13.6.2022

Publication: Dainik Bhaskar

Page no: 9 | 10

Edition: Mumbai | Ahmedabad

Headline : The full amount of insurance has been paid, now you will get the restoration benefit

पूरी बीमा राशि खत्म, अब मिलेगा रेस्टोरेशन बेनिफिट

बीमा की बात

यदि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट शामिल है तो इसकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है। इसे 'रीफिल बेनिफिट' के रूप में भी जाना जाता है। इसका फायदा यह है कि पूरी बीमा राशि खत्म होने पर भी आगे के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। रेस्टोरेशन बेनिफिट ऑटोमेटिक तरीके से इंश्योरेंस कवर रिस्टोर कर देता है।

मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। पॉलिसी के तीसरे महीने आपको किसी बीमारी का पता



चला और उसके इलाज में पूरी बीमा राशि खर्च हो गई। अभी आप पॉलिसी रिन्यू भी नहीं करा सकते। यह काम 9 महीने बाद ही हो पाएगा। लेकिन यदि इस बीच किसी दूसरी बीमारी का पता चल जाए, जिसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत हो तो यह

रेस्टोरेशन बेनिफिट की शर्तें

1. रिस्टोर्ड सम अश्योर्ड सिर्फ विशेष पॉलिसी वर्ष के लिए उपलब्ध होता है। इसे अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
2. रेस्टोरेशन बेनिफिट नई बीमारी के लिए मिलता है। जिस बीमारी का इलाज हो चुका हो, उसके लिए यह बेनिफिट उपलब्ध नहीं होगा।

खर्च आपको तभी खुद उठाना होगा जब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रेस्टोरेशन बेनिफिट नहीं देती होगी। यदि पॉलिसी में रेस्टोरेशन बेनिफिट है तो बीमा राशि खत्म होते ही 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बेनिफिट बहाल कर दिया गया होगा।

रेस्टोरेशन बेनिफिट दो तरह के

पूरी समाप्ति। इसमें बीमा राशि पूरी तरह खत्म होने के बाद ही रेस्टोरेशन बेनिफिट शुरू होगा। यदि सम अश्योर्ड 5 लाख रु. है तो रेस्टोरेशन बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक यह पूरी रकम खर्च न हो जाए।

आंशिक समाप्ति। इसमें यदि पॉलिसी का सम अश्योर्ड 5 लाख रु. है और उसमें 4 लाख खत्म हो गया है तो अभी से ही पूरी बीमा राशि रिस्टोर हो जाएगी।

भास्कर नेरुरकर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम
हेड, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस